कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः–सीआईडी / सीबी / पीआरसी / 2014 / 4621 दिनांकः– 25.04.2014

स्थायी आदेश संख्या 09 / 2014

विषयः–बीट प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में।

पुलिस का मुख्य दायित्व अपराधों की रोकथाम, उनका निवारण करना, जनता की जानमाल एवं इज्जत की रक्षा करना तथा आपराधिक तत्वों की गतिविधियों पर अंकुश लगाना हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बीट प्रणाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। बीट प्रणाली का ध्येय जन भागीदारी में वृद्धि, आम नागरिकों से निकट सम्पर्क, क्षेत्र की जानकारी, आसूचना संकलन तथा जनता व पुलिस में आपसी समन्वय व सामंजस्य स्थापित करना है। बीट प्रणाली के द्वारा पुलिस थाने में पदस्थापित प्रत्येक पुलिसकर्मी को स्वतंत्र उत्तरदायित्व के साथ अनेक अधिकार प्रदत्त किए जाते हैं, ताकि वह अपने बीट क्षेत्र के प्रति अपने कर्त्तव्य को समझ कर उसका निर्वहन कर सके और जनता में पुलिस विभाग के प्रति विश्वास एवं सहयोग की भावना का संचार कर सके। इस प्रणाली में जहां वह एक ओर अपने बीट क्षेत्र में पुलिस थाने का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं दूसरी ओर बीट की जनता की दृष्टि में उनके प्रतिनिधि एवं मित्र के रूप में पुलिस थाने में कार्यरत रहता है।

बीट प्रणाली की क्रियान्विति के संबंध में पुलिस मुख्यालय द्वारा पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांक 5010–5115 दिनांक 28.07.1988, 293–345 दिनांक 12.01.2000, 519–66 दिनांक 29.01.2004, 5164–5205 दिनांक 17.11.09 एवं 1091–39 दिनांक 05.02.2010 द्वारा दिए गए निर्देशों के व्यतिक्रमण में निम्नांकित दिशा–निर्देश जारी किए जाते हैं जिनकी कड़ाई से पालना सुनिश्चित की जाएः–

बीटों की संख्या एवं क्षेत्र निर्धारणः–

1. ग्रामीण क्षेत्रों के थानों में बीटों की संख्या थाने / चौकी की स्वीकृत नफरी से निर्धारित होगी। ग्रामीण क्षेत्र के थाने में 03 कानि0 एवं शहरी थानों में 04 कानि0 को अन्य प्रशासनिक कार्य (आसूचना हेतु नियुक्त कानि0 सहित) हेतु स्वीकृत नफरी से घटाते हुए शेष स्वीकृत कानि / महिला कानि0 के पदों की संख्या के बराबर बीटों की संख्या निर्धारित की जाये। चौकी में बीटों की संख्या स्वीकृत नफरी के समान होगी।
2. बीट का निर्धारण राजस्थान पुलिस नियम 1965 के नियम 2.28 एवं स्थाई आदेश संख्या 3 / 2001 में दिये गए निर्देशानुसार एवं थाना क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, आपराधिक स्थिति, कानून–व्यवस्था एवं थाने / चौकी की स्वीकृत नफरी को मद्देनजर रखते हुए किया जाए। यह कार्य संबंधित थानाधिकारी से सलाह–मशविरा कर पुलिस अधीक्षक / पुलिस उपायुक्त द्वारा अनुमोदित किया जाये।
3. यथासंभव ग्राम पंचायत / वार्ड को इकाई मानते हुए बीट क्षेत्रों का निर्धारण किया जाए।
4. निर्धारित प्रत्येक बीट के कार्यक्षेत्र में सामान्यतः परिवर्तन नहीं किया जाए तथा आवश्यक होने पर पुलिस अधीक्षक / पुलिस उपायुक्त से आदेश प्राप्त किया जाये।
5. बीट क्षेत्र का पुनःनिर्धारण सामान्यतः थाने / चौकी की नफरी में वृद्धि या थाना क्षेत्र के क्षेत्राधिकार में परिवर्तन होने पर पुलिस अधीक्षक / पुलिस उपायुक्त की अनुमति से किया जाए।

बीट कानि0 का मनोनयनः–

1 प्रत्येक बीट क्षेत्र के लिए एक कानि0 को थानाधिकारी द्वारा बीट कानि0 मनोनीत किया जाएगा। सामान्यतः कानि0 की बीट नहीं बदली जाये।

2 पुलिस थाने / चौकी पर उपलब्ध कानि0 की संख्या, स्वीकृत नफरी से कम होने पर रिक्त पदों के भरने तक एक से अधिक बीट अतिरिक्त कार्यभार के रूप में उपलब्ध कानि0 को आवंटित की जाए।

3 प्रत्येक बीट कानि0 बीट के अतिरिक्त एक बीट का लिंक बीट कानि0 मनोनीत किया जाये। लिंक बीट निर्धारित करते समय यह ध्यान रखा जावे कि लिंक बीट पडोसी बीट

हो तथा इस तरह निर्धारित दो बीट की जोडी एक दूसरे की लिंक बीट होगी। इस तरह की व्यवस्था स्थापित करने के लिये आवश्यक है कि थाने के क्षेत्र को सम नम्बर की बीट में विभाजित किया जावे ताकि उसे बीट/लिंक बीट के जोड़ों में बांटा जा सके।

4 चौकी पर पदस्थापित कानि0 को चौकी क्षेत्र की ही बीट आंवटित की जाए एवं चौकी पर पदस्थापित कानि0 को ही उसका लिंक कानि0 मनोनीत किया जाए।

5 बीट कानि0 के अवकाश अथवा लम्बी ड्यूटी पर बाहर जाने के समय लिंक कानि0 को बीट का अतिरिक्त कार्य देखने हेतु पाबन्द किया जाएगा व उसे अस्थाई तौर पर बीट बुक भी सम्भलाई जाकर रोजनामचा आम में रिपोर्ट अंकित की जाएगी जिस पर दोनों कानि0 के हस्ताक्षर कराए जाएंगे।

6 बीट कानि0 को सुदृढ करने के उद्धेश्य से यह निर्धारित किया जाता है कि जब भी बीट कानि0 अपने इलाके में जाता है तब लिंक बीट का बीट कानि0 भी उसके साथ जावेगा। इस प्रकार अपने बीट के भ्रमण के दौरान सामान्यतः कानि0 अकेला नही होगा तथा एक साथी उसके साथ रहेगा।

7 बीट के भ्रमण एवं वहॉ की कार्रवाई में तो बीट कानि0 एवं लिंक ब्रीट कानि0 एक दूसरे के पूरक होगें लेकिन अपनी बीट बुक के संधारण के लिए मात्र बीट कानि0 स्वंय जिम्मेदार होगा। बीट बुक में बीट कानि0 के अलावा अन्य कानि0 की प्रविष्टियां तब ही होगी जब बीट कानि0 के लम्बी छुट्टी जाने पर अथवा अन्य कारण से लिंक बीट कानि0 को दूसरी बीट का अतिरिक्त चार्ज दिया गया हो।

बीट कानि0 के कार्य एवं उत्तरदायित्वः–

1 बीट कानि0 निर्धारित प्रारूप में बीट बुक संधारित करेगा।

2 बीट कानि0 द्वारा अपनी बीट के समस्त सम्मन, जमानती, गैर जमानती, स्थाई वारंट एवं वसूली वारंट की तामील करवायी जाये।

3 बीट कानि0 अपनी बीट क्षेत्र के भगौड़े, उद्घोषित अपराधी, एवं अनुसंधानाधीनू आपराधिक प्रकरणों में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी करेगा।

4 पासपोर्ट, चरित्र व अन्य किसी प्रकार के सत्यापन तथा बीट क्षेत्र के निवासी अभियुक्तो व साक्षीगणों के नाम पते का सत्यापन बीट कानि0 द्वारा ही किया जायेगा।

5 बीट कानि0 अन्वेषण हेतु साक्षियों, मौतबिरों तथा अभियुक्तों को उपस्थित कराने एवं अनुसंधान में अन्य सहयोग के लिए उत्तरदायी होगा।

6 बीट कानि0 बीट स्तर की सी.एल.जी./ग्राम सभा/नगर पालिका बोर्ड की बैठक में यथा संभव उपस्थित होगा।

7 बीट कानि0 क्षेत्र के पटवारी/ग्राम सेवक व अन्य राज्यकर्मियों से निरन्तर सम्पर्क रखेगा।

8 107 सीआरपीसी की जांच संबंधित बीट कानि. द्वारा की जाऐगी। संबंधित पक्षों एवं सी.एल.जी. सदस्यों की मौजूदगी में जांच की जाए ताकि सही निष्कर्ष निकल सके।

9 बीट कानि0 वृद्ध व्यक्तियों जो अकेले या दम्पति के रूप में रहते हैं, से सम्पर्क रखेगा। बीट कानि0 द्वारा ऐसा करने का उद्धेश्य वृद्ध व्यक्तियों के मन में सुरक्षा का भाव पैदा करना है।

10 बीट कानि0 अपने बीट क्षेत्र में स्थित आवासों का डोर टू डोर सर्वे उसी प्रकार करेगा जिस प्रकार जनगणना विभाग द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर सर्वे के दौरान विभिन्न घरों एवं उनके मुखिया के संबंध में पूर्ण विवरण यथा वाहन का विवरण, आर्म्स अनुज्ञापत्र का विवरण, टेलीफोन नं., मोबाईल नम्बर, व्यवसाय, सदस्यों का विवरण, किरायेदारों एवं नोकरों का सत्यापन इत्यादि के बारे में पूर्ण सूचना अलग से रजिस्टर में संधारित करेगा। क्षेत्र में बाहरी क्षेत्रों से आकर बसने वाले व्यक्तियों की गतिविधियां संदिग्ध होने की स्थिति में पर्चा "बी" भेजकर तस्दीक कराएगा।

11 ग्रामीण क्षेत्र में बीट कानि0 सप्ताह में कम से कम एक बार अपनी बीट में लिंक बीट कानि0 के साथ रात्रि विश्राम करेगा तथा एक बार लिंक बीट में वहां के बीट कानि0 के साथ रात्रि विश्राम करेगा। मुख्यालय की बीट में पदस्थापित कानि0 यथा संभव प्रतिदिन, परंतु सप्ताह में कम से कम तीन बार बीट का भ्रमण करेगा।

बीट प्रभारी का मनोनयन एवं उसके उत्तरदायित्वः–

1 बीट क्षेत्र के एक समूह (यथा संभव 3–4) पर एक बीट प्रभारी जो उप निरीक्षक/सहायक उप निरीक्षक/हैड कानि0 स्तर का होगा, नियुक्त किया जाए। चौकी प्रभारी को उसके क्षेत्राधिकार की बीट समूह का ही प्रभारी नियुक्त किया जाये।

2 लिंक बीट कानि0 की भाँति ही प्रत्येक बीट प्रभारी को भी एक अन्य बीट के समूहों का लिंक बीट प्रभारी मनोनीत किया जाये।

3 बीट प्रभारी द्वारा स्वयं के अधीन समस्त बीट कानि0 का पर्यवेक्षण एवं उन्हें मार्गदर्शन कर तथा सप्ताह में एक बार बीट बुक का अवलोकन कर आवश्यकतानुसार अपनी टिप्पणी/सुझाव/निर्देश अंकित किये जायें।

4 बीट क्षेत्र से संबंधित अभियोगों का अन्वेषण बीट प्रभारी अथवा थानाधिकारी द्वारा किया जाये। वृत्ताधिकारी की अनुमति से ही अनुसंधान अन्य अनुसंधान अधिकारी को सुपुर्द किया जावे।

थानाधिकारी के उत्तरदायित्वः–

1 थानाधिकारी थाने/चौकी की स्वीकृत नफरी एवं क्षेत्र के अनुसार बीट वितरण करने के उपरांत उसकी प्रति जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त एवं वृत्ताधिकारी/सहायक पुलिस उपायुक्त को प्रेषित की जाये।

2 थानाधिकारी अपने अधीनस्थ समस्त बीट कानि0 का पर्यवेक्षण करें एवं प्रत्येक पखवाड़े में एक बार उनकी बीट बुक अवलोकन कर आवश्यकतानुसार टिप्पणी व सुझाव अंकित करें।

3 थानाधिकारी द्वारा प्रत्येक माह बीट कानि0 की बीट बुक का अवलोकन कर व साक्षात्कार लेकर थाने के सर्वश्रेष्ठ बीट कानि0 का चयन करें।

4 थानाधिकारी अपने थाना क्षेत्र में अनुसंधान कार्य अथवा किसी अन्य राजकार्य से जाते हैं तो संबंधित बीट कानि0 को अपने साथ आवश्यक रूप से रखें।

5 थानाधिकारी द्वारा कानि0 का वार्षिक कार्य मूल्यांकन उसके द्वारा बीट में सम्पादित कार्य के आधार पर व बीट बुक के अवलोकन के उपरांत ही किया जाए।

6 जब किसी वी.आई.पी. का बीट क्षेत्र में दौरा हो तो उस बीट के कानि0 एवं बीट प्रभारी को बंदोबस्त ड्यूटी में लगाया जावे।

7 प्रत्येक बीट कानि0 को प्रथम बार थानाधिकारी स्वंय पूर्व निर्धारित समय पर बीट में जाकर सभी नागरिकों की एक आम सभा में उसका परिचय बीट कानि0 के रूप में करवायेगा जिसमें बीट के समस्त नागरिकों को बुलाया जावे। इस आम सभा में बीट कानि0 का लोगो से परिचय करवाने के साथ ही एक 5–6 लोगों की बीट सीएलजी का भी गठन किया जाए जिसमें क्षेत्र के प्रभावशाली, सेवाभावी,बेदाग छवि वाले, पुलिस व नागरिकों का सेतु बनने वाले व्यक्तियों को शामिल किया जाए, एवं एक रजिस्टर संधारित किया जावे जिसमें प्रत्येक बीट सीएलजी की मीटिंग का ब्यौरा लिखा जावे जिसे थानाधिकारी समय समय पर चैक करें एवं समस्याओं के समाधान के संबध में अपनी टिप्पणी अंकित की जावे।

पर्यवेक्षणः--

1 जब भी उच्चाधिकारियों द्वारा कार्यवश बीट क्षेत्र का भ्रमण किया जाता है तो बीट कानि0 को आवश्यक रूप से साथ रखा जाए।

2 जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, वृत्ताधिकारी/सहायक पुलिस उपायुक्त थाने के भ्रमण के समय बीट प्रणाली की प्रभावी क्रियान्विति हेतु उपस्थिति कानि0 से वार्ता करें उनकी बीट बुक का परीक्षण कर अपनी टिप्पणी अंकित की जावे।

3 बीट बुक में भरी जाने वाली प्रविष्टियों को कमवार थाने के कम्प्यूटर में भी समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार भरा जावे। जिससे समस्त थाने की बीट की सूचना डिजिटल रूप में भी उपलब्ध हो जाये जिससे विश्लेषण व नीति निर्धारण में सहयोग मिल सके।

4 जिले की अपराध शाखा में एक सैल बीट के संबंध में गठित किया जाए जो बीट प्रणाली के कियाकलापों की मॉनिटरिंग करें।

5 वृत्ताधिकारी अपने वृत्त क्षेत्र में प्रतिमाह रोस्टर के अनुसार प्रत्येक थाने की 6 बीट बुक का अवलोकन करके उनमें टिप्पणी अंकित करेंगे, संबंधित अति0 पुलिस अधीक्षक/अति0पुलिस उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त द्वारा कमशः

प्रत्येक थाने के चार एवं दो बीट कानि0 की बीट बुक का प्रतिमाह अवलोकन करके उसमें टिप्पणी अंकित करेंगे।

पुरस्कार एवं दण्डः—

1 वृत्ताधिकारी द्वारा अपने वृत्त क्षेत्र के थानों के चयनित सर्वश्रेष्ठ बीट कानि0 को प्रत्येक माह अपने कार्यालय में बुलाकर उनकी बीट बुक का अवलोकन व साक्षात्कार कर वृत्त क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ बीट कानि0 का चयन किया जाये।

2 पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त द्वारा अपने जिले के सभी वृत्तों से चयनित सर्वश्रेष्ठ बीट कानि0 को कार्यालय में बुलाकर उनकी बीट बुक के अवलोकन व साक्षात्कार के बाद जिले के लिए माह का सर्वश्रेष्ठ बीट कानि0 का चयन करें। चयनित बीट कानि0 की फोटो क्रमशः थाना, वृत्ताधिकारी/सहायक पुलिस उपायुक्त कार्यालय एवं पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त कार्यालय के बाहर निर्धारित स्थान पर लगाई जावे एवं उसे नगद पुरस्कार भी दिया जावे, जिससे बीट कानिस्टेबलों में अच्छे कार्य करने की प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो।

3 बीट कानि0 द्वारा बीट में उत्कृष्ट कार्य करने पर उचित पुरस्कार प्रदान किया जाए। पुलिस थानों व चौकियों पर पदस्थापन हेतु बीट कानि0 द्वारा अपनी बीट क्षेत्र में की गई कार्रवाई को आधार बनाया जाए व उन्हें कार्य की गुणवत्ता के अनुरूप प्राथमिकता प्रदान की जाए तथा पोलिसी के अनुरूप होने पर इच्छित स्थानों पर पदस्थापित करने पर विचार किया जाए।

4 बीट में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को मुख्यालय स्तर पर समीक्षा कर विशेष पदोन्नति पर विचार किया जायेगा।

5 बीट क्षेत्र में कानि0 का कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने एवं जब कभी भी किसी बीट क्षेत्र में बीट कानि0/बीट प्रभारी की सूचना के बिना बीट क्षेत्र में सामाजिक अपराध यथा जूआ, सट्टा, शराब की अवैध बिक्री, देह व्यापार, मादक पदार्थो की बिक्री एवं छेड़छाड़ की घटनाओं से संबंधित अपराध घटित होने पर सीधी कार्रवाई उच्च अधिकारी स्तर पर की जाती है तो संबंधित बीट कानि0/बीट प्रभारी के विरूद्ध विपरित धारणा बनेगी तथा आवश्यकतानुसार विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

23/4/14

(ओमेन्द्र भारद्वाज)
महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान, जयपर।

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

1. विशिष्ट महानिदेशक पुलिस, प्रशासन, कानून एवं व्यवस्था, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
4. समस्त महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
5. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर एवं समस्त महानिरीक्षक पुलिस, रेंज, राजस्थान।
6. समस्त पुलिस उपायुक्त, जयपुर/जोधपुर एवं समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान मय जीआरपी अजमेर/जोधपुर।
7. प्राचार्य, आर.पी.टी.सी. जोधपुर।
8. समस्त कमाण्डेन्ट, पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, राजस्थान।
9. समस्त कमाण्डेन्ट, आर.ए.सी./एम.बी.सी., राजस्थान।

23/4/14

महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान, जयपर।